

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,

जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 570 / 10

संस्थित दिनांक -27 / 07 / 10

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना मलाजखण्ड

जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

गुरमीतसिंह वल्द सलविंदरसिंह

उम्र 35 वर्ष नि-दुर्ग रेल्वेस्टेशन के पास

इब्राहिम मुसलमान के मकान में थाना-

मोहन नगर जिला दुर्ग छ0ग0

..... आरोपी

::निर्णय::

{ दिनांक 03 / 02 / 2017 को घोषित }

1. आरोपी के विरुद्ध धारा-304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत यह दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 11 / 07 / 10 को समय 04:00 बजे स्थान नरेश मरावी के पेट्रोल पम्प के सामने मलाजखण्ड आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी. 04 / जे-4425 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर अशोक कुमार धुर्वे की मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक अशोककुमार धुर्वे ट्रक क्रमांक सी.जी.04 / जे-4425 में ड्रायवर गुरमीतसिंह के साथ क्लीनर का काम करता था। दिनांक 10.07.2010 को ट्रक में बैठकर भिलाई से बम्हनी जाते समय रात्रि करीब 04:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत नरेश मरावी के पेट्रोल पम्प के सामने बेरियर को देखकर ड्रायवर गुरमीतसिंह ने ब्रेक लगाकर ट्रक को धीमा किया जिससे क्लीनर अशोककुमार नीचे उतरने लगा उसी समय ट्रक के ड्रायवर गुरमीतसिंह ने तेजगति व लापरवाही से ट्रक को चलाया जिससे अशोक ट्रक के नीचे रोड पर गिरकर चोटिल हुआ। एम.सी.पी. अस्पताल मलाजखण्ड ले जाने पर अशोक की मृत्यु हो गयी। अस्पताल से मेमो प्राप्त होने पर मर्ग कायम कर मौके पर जाकर मृतक अशोककुमार की पंचनामा कार्यवाही कर शासकीय अस्पताल बिरसा में पोस्ट मार्टम करवाया गया। मर्ग जांच से ट्रक चालक गुरमीतसिंह द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से

अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। दौरान विवेचना के गवाहों के कथन लेखबद्ध कर आरोपी से घटना में प्रयुक्त ट्रक जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर, सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोप को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है, कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 11/07/10 को समय 04:00 बजे स्थान नरेश मरावी के पेट्रोल पम्प के समाने मलाजखण्ड आरक्षित केन्द्र मलाजखण्ड के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी. 04/जे-4425 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर अशोक कुमार धुर्वे की मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

5. मंगलसिंह (अ.सा.4) का कथन है कि घटना आज से लगभग दो साल पुरानी थाना मलाजखण्ड के सामने रात्रि के तीन-चार बजे की है। घटना दिनांक को वह लोग अपने ट्रक में भिलाई से बम्हनी गिट्टी लाने के लिए जा रहे थे। मृतक अशोककुमार धुर्वे ट्रक क्लीनर था जो उनके साथ ट्रक में बैठकर जा रहा था। वह गाड़ी में सो गया था। जब गाड़ी रूकी तो देखा कि अशोक ट्रक के साईड में गिरा पड़ा था जिसे अस्पताल उठाकर ले गये थे। ट्रक ड्रायवर गुरमीतसिंह से पूछने पर उसने बताया कि कैसे गिर गया इसकी जानकारी नहीं है। उसकी गाड़ी का नम्बर सी.जी.04/जे-4425 था। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर मौकानक्शा प्र.पी.04 नहीं बनाया था परंतु मौकानक्शा के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी गुरमीतसिंह से ट्रक क्रमांक सी.जी.04/जे.-4425 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी गुरमीतसिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.06 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 10.01. 2010 को बेरियर के पास की है। ट्रक धीमी गति से चल रहा था और गुरमीतसिंह के ब्रेक लगाने पर मृतक अशोक ने गेट का दरवाजा खोला जो

उसी समय गिर गया था।

6. बुद्धसिंह (अ.सा.1) का कथन है कि मृतक अशोक कुमार उसका भांजा लगता था। घटना के दिन अशोक के ड्रायवर गुरमीतसिंह के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। घटना के बारे में बैहर से पुलिसवालों ने गांव में आकर बताया था कि ट्रक दुर्घटना में अशोक की मृत्यु हो गयी है। तब वह अशोक के जीजा व अन्य दो लोगों के साथ मलाजखण्ड अस्पताल अशोक को देखने गया था। वहां उन्हें अशोक मृत अवस्था में मिला था। दुर्घटना में अशोक के सिर के पीछे तरफ व कमर में चोट लगी थी। ट्रक को सरदार जी चला रहा था जिसका नम्बर उसे मालुम नहीं है। अशोक कुमार ट्रक से उतर रहा था जो फिसलने के कारण वहीं गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। पुलिस ने अशोक की मृत्यु पंचनामा के लिए प्रस्तुत होने की सूचना प्र.पी.01 उसे दी थी और उसके समक्ष अशोक की मृत्यु का पंचनामा प्र.पी.02 तैयार किया था। पुलिस ने उसके समक्ष अशोक के शव को सौंपा था जो प्र.पी.03 है, उक्त दस्तावेजों के ए से ए भागों पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। जब अशोक गेट खोलकर ट्रक से नीचे उतर रहा था उसी समय आरोपी ट्रक ड्रायवर ने तेज गति से गाड़ी आगे बढ़ाया जिस कारण अशोक ट्रक से सिर के बल रोड़ पर गिर गया और घटना में अशोककुमार की मृत्यु हो गयी। साक्षी को प्र.पी.04 का कथन पढ़कर सुनाये जाने पर उसने पुलिस को ऐसे कथन देना स्वीकार किया है।

7. नान्हसिंह (अ0सा02) का कथन है कि उसने आरोपी गुरमीतसिंह को घटना वाले दिन मलाजखण्ड में देखा था। उसे पता लगा था कि अशोककुमार ट्रक से गिर गया है जिस कारण उसकी मृत्यु हुई है। वह लोग अशोक के शव के साथ थे जिसका पोस्ट मार्टम बिरसा में हुआ था। उसे ट्रक का नम्बर व चालक नहीं मालुम, उसने घटना होते हुए नहीं देखा था। उसे नहीं मालुम की अशोक की मृत्यु कैसे हुई थी। पुलिस ने अशोक की मृत्यु का पंचायतनामा तैयार करते समय उसे बुलाया और उसके समक्ष अशोक के शव को घरवालों को सौंपा था। मृत्यु पंचायतनामा प्र.पी.01 तथा सुपुर्दनामा प्र.पी.03 के बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. सोनबतीबाई (अ0सा03) का कथन है कि उसे घटना का पता दो दिन बाद चला था। पुलिसवालों ने दो दिन बाद उसे बताया था कि दस चक्के वाले ट्रक से उसके लड़के अशोक का एक्सीडेंट हो गया है। उसका लड़का बिरसा तरफ जा रहा था। जिस आरोपी ने दुर्घटना कारित की वह सरदार था, लेकिन उसे उसका नाम पता नहीं मालुम है। उसे सुनने में आया था कि दुध

टिना आरोपी सरदार की वजह से हुई थी। उसका लड़का उक्त ट्रक में काम करता था जो बिरसा थाने से आगे की ओर जा रहा था। उसका लड़का दुध टिना के तुरंत बाद फौत हो गया था, परंतु उसे दो दिन बाद पता चला था।

9. हीरालाल (अ0सा07) का कथन है कि मृतक अशोककुमार उसका साला था। उसे मालुम हुआ कि अशोक का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मृत्यु हो गयी है। ट्रक का नम्बर सी.जी.04/जे.-4425 था जिसे ट्रक ड्रायवर सरदार चला रहा था। पुलिस ने अशोक का मृत्यु पंचनामा तैयार करते समय उसे बुलाया था और उसके समक्ष अशोक के शव को घरवालों को सौंपा था। मृत्यु पंचायतनामा प्र.पी.01 तथा सुपुर्दनामा प्र.पी.03 के सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. संतलाल तुरकर (अ0सा06) का कथन है कि दिनांक 11.07.10 को शासकीय अस्पताल मलाजखण्ड में वार्डबॉय के पद पर पदस्थापना के दौरान डा. वाय.एस.गण्डोले मलाजखण्ड ताम्र परियोजना अस्पताल के द्वारा मृतक अशोक के संबंध में लिखित सूचना जो पुलिस थाना मलाजखण्ड के थाना प्रभारी के नाम से लेख की थी, जो उसने थाना मलाजखण्ड में ले जाकर दिया था। पुलिस ने उक्त सूचना पर मर्ग इंटीमेशन क्रमांक 27/10 अंतर्गत धारा 174 दं.प्र.सं. लेख की थी जो प्र.पी.7 है जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

11. डा. सुनीलसिंह (अ0सा08) का कथन है कि दिनांक 11.07.10 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दमोह में थाना मलाजखण्ड से आरक्षक द्वारा मृतक अशोककुमार का शव परीक्षण हेतु लाया गया था। जिसके परीक्षण पर सिर के पीछे तीन इंच गुणा दो इंच चोट मेंडीबुलम फैक्चर, दाहिने तरफ टेम्पोरल बोन में चोट तथा मल्टीपल फैक्चर पाया था। उक्त चोट गंभीर प्रकृति की थीं जिनसें काफी मात्रा में खून का स्त्राव हो चुका था। साक्षी के अनुसार मृतक सिनकोपिक शॉक के कारण सिर में गंभीर चोट तथा अत्यधिक मात्रा में रक्त का स्त्राव होने से प्रतीत हो रही थीं। शरीर के आवश्यक अंग हृदय, फेफड़े और लीवर क्षतिग्रस्त थे। मृत्यु परीक्षण के 08-12 घण्टे के भीतर की थी जो सिर में गंभीर चोट होने के कारण हुई थी। उक्त शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.9 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

12. अलीम जिलानी (अ0सा09) का कथन है कि उसके द्वारा थाना मलाजखण्ड के मामले में जप्त शुदा ट्रक क्रमांक सी.जी.04/जे.-4425 का मैकेनिकल परीक्षण करने पर वाहन के गियर, ब्रेक, स्टेरिंग, टायर, साईड ग्लास एवं लाईट सही हालत में पाया था। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.10 है जिसके ए

से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. भागचंद झारिया (अ0सा05) का कथन है कि वह दिनांक 11.07.10 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था तथा प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत पटले के हस्ताक्षर साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त दिनांक को मलाजखण्ड ताम्र परियोजना के अस्पताल से मृतक अशोक गोंड की तहरीर प्राप्त होने मर्ग इंटीमेशन प्र.पी.07 प्रधान आरक्षक लक्ष्मी पटले के द्वारा लेख की गयी जिसके ए से ए भाग पर लक्ष्मी पटले के हस्ताक्षर हैं। उक्त मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट 27/10 धारा 174 दं.प्र.सं. प्र.पी.07 प्राप्त होने पर उसके द्वारा मलाजखण्ड ताम्र परियोजना अस्पताल में जाकर मृतक अशोक के शव का पंचायतनामा प्र.पी.01 तथा नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.02 की कार्यवाही की थी जो उसकी हस्तलिपि में है। मृतक अशोक के शव का पोस्ट मार्टम शासकीय अस्पताल बिरसा से करवाकर रिपोर्ट प्र.पी.08 चालान के साथ संलग्न की गयी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त मर्ग जांच पर ट्रक क्रमांक सी.जी.04/जे-4425 के चालक गुरमीतसिंह के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 58/10 धारा 304ए भा.दं0सं0 प्र.पी.09 लेख किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 11.07.10 को उसके द्वारा घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.04 तैयार किया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14. भागचंद झारिया (अ0सा05) के अनुसार उक्त रिपोर्ट की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 13.07.10 को मंगलसिंह, संतलाल, हीरालाल, बुद्धेसिंह एवं दिनांक 20.07.10 को नानूसिंह, बुद्धसिंह दिनांक 22.07.10 को सोनबतीबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 13.07.10 को आरोपी गुरमीतसिंह से ट्रक क्रमांक सी.जी.04/जे-4425 साक्षियों के समक्ष मय दस्तावेजों के प्र.पी.05 के अनुसार जप्त किया था जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के एवं सी से सी भाग पर आरोपी गुरमीतसिंह के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी गुरमीतसिंह को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा ट्रक का मैकेनिकल परीक्षण अलीम जिलानी से कराकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न की गयी।

15. उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा चालित ट्रक से कारित दुर्घटना में ट्रक के क्लीनर अशोक कुमार धुर्वे की मृत्यु हुई थी। परंतु उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। घटना का केवल एक ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मंगलसिंह अ.सा.04 है जिसने घटना से स्पष्ट

इंकार किया है। अन्य सभी साक्षी अनुश्रुत हैं। उक्त साक्षी ने भी अभियोजन कहानी से पूर्णतः इंकार किया है। मंगलसिंह अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय वह सोया हुआ था तथा ट्रक रोकने पर वह उठा था। उसने अशोक को गिरते हुए नहीं देखा था तथा सोये होने के कारण वह नहीं बता सकता कि किसकी लापरवाही से घटना हुई थी। साक्ष्य की सूक्ष्मता से अवलोकन पर यह दर्शित होता है कि किसी भी साक्षी ने घटना को प्रत्यक्षतः नहीं देखा है। अपराध विधि शास्त्र अभियोजन से यह अपेक्षा करता है कि वह आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करें। सांविधिक अपवादों को छोड़कर अपराध की उपधारणा नहीं की जा सकती। “परिस्थितियां स्वयं प्रमाण है” के सिद्धांत के आधार पर उपेक्षा व उतावलेपन की उपधारणा नहीं की जा सकती। अभियोजन के द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि आरोपी द्वारा अपने वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक अशोक की मृत्यु कारित की गयी है। घटना में वाहन पर सवार व्यक्ति की मृत्यु के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा अपने वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर उक्त घटना कारित की गयी हो इस संबंध में न्याय दृष्टांत—Bijuli Swain Vs State of Orissa 1981 Cr.LJ 583(Ori) अवलोकनीय है।

16. अतः अभियुक्त गुरमीतसिंह पिता सलविंदरसिंह को भा.दं0सं0 की धारा 304ए के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी. 04/जे-4425 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

19. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)